

कार्यालय

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश (अध्यापक)

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या/ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय सार:

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय का/प्रिंसिपल लोक इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु दिल्लीका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व ही संपन्नित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश सम्पन्न वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने गठे विवेक के अनुक्रम में शिक्षण संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उा का संयोजक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु स्वीकृतिकार्य के अंतिम पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश सम्पन्न हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बीछ एवं नाम : 3377-DODHNATH COLLEGE OF PHARMACY, SAKRAR, MAURANIPUR, JHANSI.

क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/फीस/परीक्षाएं द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्पन्न	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्पन्न
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/फीस/परीक्षाएं द्वारा विधेयिका की शर्तें सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची-1982, बीएसटी विनियमसूची-2016 तथा अन्य निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीए पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु.22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रिका से वापस किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलत द्वारा निर्णय किये जाने वाले वास्तविक प्रस्तावों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। बीछ निर्धारण समिति द्वारा वृद्धि सत्र 2021-22 हेतु बीछ का पुनर्निर्धारण किया जासक है, तब बीछ की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा उप-समितियों) का/परिषद की सम्बद्धता किया जासक। विनियमसूची-2000 की शर्तों का अनुपालन करसक होगा।

(Handwritten Signature)
Docd
SANKU JHANSI

- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अस्तित्व वाले को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्च प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को स्वयं-सहाय पर निर्भर सामग्री/संसाधन के अनुसार निर्देशिका एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआईसीटी/एड/पीसीआई/आई/से से जानकारी एवं अनुसूचक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश शासन द्वारा बनावे गए विधिविधानी/प्रविधिकनी/साक्षात्कारनी/निर्देशनी एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, उच्च, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनावे गये विधानी, विधिवनी, आदेशनी, निर्देशनी का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विधायक इन जर्मनी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वे ही उन्हें नई दिल्ली में अनुसूचक प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक एवं से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उच्च प्रदेश शासन को कोई गारंटी दिया जाता है तथा द्वारा गारंटी के संबंध में एवं न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन जर्मनी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश सम्बद्ध द्वारा प्रायिक एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु सहायित्व प्रदान करने के लिए एमआईसीटी/एड/से अनुसूचक प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयिक के संदर्भ में) से अथवा संस्था स्तर पर (गैर प्रवेश) अनुसूचक नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सम्बन्धित आदेश विधानी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविधिक हेतु उपसूक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ विधिक देखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परतयित्व संचालित पाठ्यक्रम को चलावे जाने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अस्तित्व, भूमि-अवकाश, कर्मीय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपसूक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उचित संस्था की सम्बद्धता स्थापना किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निर्देशक द्वारा यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगात्मक, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एमआईसीटी/एड/एड/पीसीआई/आई/से परिषद के शासनानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता स्थापना कर ही जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता दर्ती का अनुपालन न किये जाने अपना कार्य का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(Handwritten Signature)
 Director
 Higher Education Department
 Government of Uttar Pradesh

(मुनीम कुमार राजवार)

सचिव

कलेक्टर,

प्रमाणपत्रिका विभाग, DOODHNATH COLLEGE OF PHARMACY, BARRAR, MAURANIPUR, JHANSI.



(मुनीश कुमार शर्मा)

तारीख



- 1. The first part of the document is a list of items...
- 2. The second part of the document is a list of items...
- 3. The third part of the document is a list of items...
- 4. The fourth part of the document is a list of items...
- 5. The fifth part of the document is a list of items...
- 6. The sixth part of the document is a list of items...
- 7. The seventh part of the document is a list of items...
- 8. The eighth part of the document is a list of items...
- 9. The ninth part of the document is a list of items...
- 10. The tenth part of the document is a list of items...

Date: 20/05/2024
 Place: ...

By: ...

[Handwritten Signature]
 ...
 ...

Scanned by CamScanner

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राजतर प्रवेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2018/868

लखनऊ दिनांक 18-9-2018

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सैद्धिक सत्र 2018-19 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2018 को निर्देशक, सौध शिक्षा एवं प्रशिक्षण सभाधान की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवत्न हुई। बैठक में सत्र 2018-19 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में सम्बद्धता संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश सपता कुद्वि हेतु सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसरण में सम्बद्धता समिति को बैठक के मद्-18 में डिप्लोमा इन कार्मनी राजतरकम सम्बद्धता करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

ऐसी गतरस्थापित विम्व डिप्लोमा इन कार्मनी संस्थाओं जिन्हें सत्र 2018-19 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणपरांत ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसरण सत्र 2018-19 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को डिप्लोमा इन कार्मनी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018-19 हेतु संस्तुत प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन सत्र परिषद कार्यालय की उपलब्ध करने के उपरांत ही की जाएगी।

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति उक्त सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित सत्रों के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश सपता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश सपता	परिषद द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश सपता
1	377	इन्दिरा कॉलेज ऑफ कार्मनी, राजतर, मन्डलीपुरा, इली	डिप्लोमा इन कार्मनी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्मित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उक्त प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक 1862 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुसरण करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन अर्धीन पाठ्यक्रमों (दो अर्धीन कार्मनी पाठ्यक्रम सहित) हेतु ₹०- 30,000.00/- अर्धीन एवं एक तथा दो अर्धीन पाठ्यक्रमों हेतु ₹०- 21,000.00 शुल्क की अर्धीन प्राथ/प्राथ से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शर्तों के शुल्क के सम्बन्ध में प्राथमिक शिक्षा पर राजतर द्वारा निर्मित किये जाने वाली सातसपदेश उपकी होगी, जो तदनुसरण करेगी। शर्तों तथा अनुसरण हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2018-2019 हेतु काल का निर्धारण किया जाता है। ती शर्तों की तदनुसरण की जानी होगी।


 Director
 National Council for Educational Research and Training
 Lucknow

